

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 13/11/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019–20 में गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर के अन्तर्गत गुण नियंत्रण कार्यों की जाँच के लिए प्रयोगशाला के पुनर्स्थापन हेतु रु 21.55 लाख निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या—32/18–19, प्र.स्वी. दिनांक —23.10.18 Online AA-1428/23.10.18

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

| क्र. No. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष                                     | लघु शीर्ष /उप शीर्ष   | विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड                                       | आवंटित राशि       |
|----------|--|---|---|-------------------|
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                 |
| 1.       | 49—जल संसाधन विभाग/<br>4701—मध्यम सिंचाई पर<br>पूँजीगत परिव्यय /80—सामान्य | 800—अन्य व्यय/<br>75—सर्वेक्षण, अनुसंधान<br>परामर्श एवं मूल्यांकन | 07—अन्य व्यय /59—अन्य व्यय<br>विपत्र कोड—<br>49S470180800750759 | 21.55<br>(लाख रु) |

आवंटित राशि — रु इकीस लाख पचपन हजार मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा :— (राशि लाख रु. में)

| क्र. No. | प्रमंडल का नाम                              | मुख्य अभियंता | योजना का नाम  | प्रशासनिक स्वीकृति/एकरानामा की राशि           | मार्च 2019 तक व्यय | वित्तीय वर्ष 2019–20 में |               |           | योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9) | On-line Allotment Access No |
|----------|---|---------------|---|---|--------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
|          |   |               |   |   |                    | पूर्व का आवंटन           | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन |                                 |                             |
| 1        | 2   | 3             | 4   | 5   | 6                  | 7                        | 8             | 9         | 10                              | 11                          |
| 1.       | गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR008) | मेदिनीनगर     | गुण नियंत्रण कार्यों की जाँच के लिए प्रयोगशाला का पुनर्स्थापन | 40.99<br>—<br>16.14417<br>+5.40 =<br>21.54417 | 0.00               | 0.00                     | 21.55         | 21.55     | 21.55                           | 71750                       |

- आवंटित राशि वर्ष 2019–20 के बजट उपबंध राशि रु 3300.00 लाख (तैतीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) वि. 15.07.2003, 1363 वि. 09.05.2016 एवं 2747 /वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।


→ २१

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास )  
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपवंध पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षांतर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।


**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no उपर्युक्त कंडिका-2 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

  
 (अरुण कुमार सिंह)  
 12.11.19

ज्ञापांक :- 153

रॉची, दिनांक :- 13/11/19  
 अपर मुख्य सचिव


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 डोरण्डा/रॉची/पलामू/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक

  
 (अरुण कुमार सिंह)  
 12.11.19

ज्ञापांक :- 153


रॉची, दिनांक :- 13/11/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

  
 (अशोक कुमार दास)  
 संयुक्त सचिव (अभि.)

  
 (अरुण कुमार सिंह)  
 12.11.19  
 अपर मुख्य सचिव